अनुसूची–14–फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 15/2019–20

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– ..... से ..... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर ..... सन्

केस का प्रकार–

सरकार बनाम कंचन राय, पिता रामाधार राय, साकिन गोदनपट्टी (मोहम्मदपुर सूरा) थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26/3/2019	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1380/सी0आर0, दिनांक–13.03.2019 के द्वारा आसन्न लोक सभा चुनाव–2019 में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था आम जनता के बीच बनाए रखने हेतु कंचन राय, पिता रामाधार राय, साकिन गोदनपट्टी (मोहम्मदपुर सूरा) थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 904, दिनांक 10.03.2019 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार कंचन राय एक कुख्यात अपराध कर्मी है। वर्तमान में विस्फोटक अधिनियम के कांड में न्यायिक जमानत पर है। लोक सभा चुनाव 2019 के अवसर पर इनकी गतिविधि काफी संदिग्ध पायी गयी है। वे अपने अपराधी साथियों के साथ मिलकर चुनाव के दिन थाना क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना को अंजाम देकर लोक शांति भंग कर चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने की योजना बना रहे है। इनके विरूद्ध निम्नांकित कांड एवं सनहा दर्ज है – (1) गायघाट थाना कांड संख्या 316/2014, दिनांक 07.10.2014 धारा 341, 323, 307, 326, 504, 506, 147 भा0द0वि0 एवं 3/4 वि0 पदा0अधि0 में आरोप पत्र संख्या 01/15, दिनांक 03.01.2015 (2) गायघाट थाना दैनिकी सनहा संख्या 37/19, दिनांक 05.03.2019 (3) गायघाट थाना दैनिकी सनहा संख्या 77/2019, एवं 86/19, दिनांक 05.03.2019 वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 403/न्या0, दिनांक 15.03.2019 के द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, गायघाट, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 535, दिनांक 25.03.2019 के द्वारा समर्पित किया गया है कि विपक्षी कंचन राय के द्वारा स्वयं नोटिस प्राप्त किया गया है। उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 26.03.2019 को की गई। सुनवाई के क्रम में, विपक्षी अनुपस्थित पाए गए। उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, अपराध नियंत्रण अधिनियम, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि समाहर्त्ता न्यायालय के द्वारा निर्गत नोटिस की प्राप्ति के बावजूद विपक्षी का सुनवाई में अनुपस्थित रहने से प्रतीत होता है कि वे कानून का पालने करने वाले व्यक्ति नहीं है। संभव है कि लोक सभा निर्वाचन के अवसर पर अपने क्षेत्र में रहने के कारण विधि व्यवस्था एवं लोक शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाए। इसलिए विपक्षी के विरूद्ध यथोचित आदेश पारित किया जा सकता है।	

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 15/2019–20

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, अपराध नियंत्रण अधिनियम, मुजफ्फरपुर को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद कागजात के परिशीलन के उपरांत मैं पाता हूँ कि नोटिस प्राप्ति के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होने से प्रतीत होता है कि विपक्षी कानून का पालन करने वाले व्यक्ति नहीं है। संभव है कि लोक सभा निर्वाचन–2019 के अवसर पर इनके अपने क्षेत्र में रहने से लोक शांति एवं विधि व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाए। इसलिए इनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई अति आवश्यक है।

सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11643/सी० पटना, दिनांक 31.12.2018 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आदेश देता हूँ कि विपक्षी कंचन राय, पिता रामाधार राय, साकिन गोदनपट्टी (मोहम्मदपुर सूरा) थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 31.05.2019 तक प्रतिदिन मोतीपुर थाना में 04.00 बजे सायं से 06.00 बजे सायं के बीच अपनी हाजरी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

थानाध्यक्ष, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आशय का दैनिक प्रतिवेदन समाहर्त्ता न्यायालय में एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि विपक्षी के द्वारा उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

विपक्षी कंचन राय, पिता रामाधार राय, साकिन गोदनपट्टी (मोहम्मदपुर सूरा) थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिला में निर्वाचन की तिथि 06.05.2019 को वे गायघाट थाना, मुजफ्फरपुर में 07.00 बजे पूर्वाह्न में अपनी हाजरी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे एवं उस दिन 07.00 बजे प्रातः से 05.00 बजे सायं तक थाना पर ही उपस्थित रहेंगे।

थानाध्यक्ष, गायघाट, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि यदि विपक्षी मतदान करने के लिए इच्छुक हो तो उन्हें मतदान करने के लिए हर संभव आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष से कराने के लिए इसे वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय को भेजा जाए। साथ ही इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए एवं इस जिले के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

26/3/19 समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

26/3/19 समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

26/3/19

प्रतिलिपि – SSP मुज०/SHO, गायघाट/SHO, मोतीपुर/DIO, NIC, मुज०/विपक्षी कंचन राय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ज्ञापांक 73/ दिनांक 29/3/19

प्रभारी पदाधिकारी
विधि प्रशाखा
मुजफ्फरपुर

29 MAR 2019

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

मोतीपुर थाना कांड संख्या–413/2018

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– ..... से ..... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर ..... सन

केस का प्रकार–

संजय राय, पे0 चंदेश्वर राय, साकिन नोनीमल राजेपुर, थाना मेहसी, जिला पूर्वी चम्पारण

बनाम

सरकार एवं अन्य

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15/3/2019	संजय राय, पे0 चंदेश्वर राय, साकिन नोनीमल राजेपुर, थाना मेहसी, जिला पूर्वी चम्पारण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC No. 12653/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2018 की प्रति संलग्न कर आवेदन दाखिल करते हुए अनुरोध किया गया कि मोतीपुर थाना कांड संख्या–413/2018, दिनांक–21.05.2018, धारा–30(ए)/37(सी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त वाहन (स्पलेंडर मोटरसाइकिल निबंधन संख्या BR06BK-7485) को मुक्त करने के लिए प्रतिभूति की राशि निर्धारित की जाए। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश में अंकित किया गया है – "..... *it is directed that pending finalization of the confiscation proceedings and aforesaid criminal case, the aforesaid vehicle in question shall be released to the petitioner, on his furnishing two surety bonds to the satisfaction of District Magistrate, Muzaffarpur .....*." आवेदक के द्वारा दाखिल कागजात के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 1290, दिनांक 07.08.2018 के द्वारा मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर से मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके प्रसंग में मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 253, दिनांक 09.08.18 के द्वारा उक्त कांड में जब्त वाहन का मूल्य 25,000/– प्रतिवेदित किया गया। आवेदक (वाहन स्वामी) के द्वारा मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशानुसार बंधपत्र एवं दो प्रतिभूति दाखिल किया गया। दो प्रतिभूति के रूप दो वाहनों (तीन चक्का वाहन निबंधन संख्या BR06PD-8859– वाहन स्वामी के रूप में अंकित नाम शशि कुमार राय, पे0 महेन्द्र राय, वार्ड नं0 12, साकिन नेनीमल राजेपुर, थाना मेहसी, जिला पूर्वी चम्पारण एवं मोटरसाइकिल, निबंधन संख्या BR06AX-6817 – वाहन स्वामी में रूप में अंकित नाम आनन्दी राय, पे0 चुल्हाई राय, साकिन बाजीतपुर कोदरिया, खरौनाडीह, कुढनी, मुजफ्फरपुर) से संबंधित कागजात दाखिल किया गया जिसके प्रसंग में, इस न्यायालय के पत्रांक 2066/म0नि0, दिनांक 26.12.2018 के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से स्वामित्व प्रतिवेदन एवं मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर से मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग की गई। मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 18, दिनांक 17.01.2019 के द्वारा BR06PD-8859 का मूल्य 2,00,000/– एवं BR06AX-6817का मूल्य 29,000/– प्रतिवेदित किया गया एवं जिला	

परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 416, दिनांक 13.03.2019 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा बंधपत्र एवं प्रतिभूति में अंकित वाहन स्वामी के नाम से संबंधित अंकित विवरणी सही है।

दिनांक–15.03.2019 को उक्त वाद की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में उनके द्वारा कागजात दाखिल किया गया था, जिसके प्रसंग में संबंधित पदाधिकारी से मूल्यांकन/स्वामित्व प्रतिवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा दाखिल बंधपत्र पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, मुजफ्फरपुर के द्वारा भी जब्त वाहन की विमुक्ति की अनुशंसा की गई है। अतः उनके वाहन को मुक्त करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि उक्त कांड में जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु निदेशानुसार प्रतिभूति के रूप में वाहनों से संबंधित कागजात दाखिल किया गया, जिसके प्रसंग में संबंधित पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। इस तरह, वाहन स्वामी के द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है। अतः उक्त कांड में जब्त वाहन को मुक्त करने का आदेश निर्गत किया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद कागजात के आलोक में थानाध्यक्ष, मोतीपुर थाना, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि वे **मोतीपुर थाना कांड संख्या–413/2018, दिनांक–21.05.2018, धारा–30(ए)/37(सी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त वाहन (स्पलेंडर मोटरसाइकिल निबंधन संख्या BR06BK-7485)** को उसके स्वामी संजय राय, पे0 चंदेश्वर राय, साकिन नोनीमल राजेपुर, थाना मेहसी, जिला पूर्वी चम्पारण को विहित प्रक्रिया के तहत उचित पहचान पर दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि उक्त संबंध में अपने स्तर से भी संबंधित थानाध्यक्ष को निदेशित करने का कष्ट करेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से अनुरोध है कि कि वे इस आदेश में अंकित वाहनों (स्पलेंडर मोटरसाइकिल निबंधन संख्या BR06BK-7485, तीन चक्का वाहन निबंधन संख्या BR06PD-8859 एवं मोटरसाइकिल निबंधन संख्या BR06AX-6817 की खरीद–बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगाने का कष्ट करेंगे।

वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि वाहन स्वामी एवं जमानतदार के द्वारा दाखिल कागजात का उनके मूल से मिलान करके संतुष्ट होने के उपरांत इस आदेश की प्रति उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

वाहन स्वामी को आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में अंकित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए एवं इस जिले के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
मुजफ्फरपुर

अनुसूची–14–फारम संख्या–562

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 05/2019–20

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– ..... से ..... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर ..... सन्

केस का प्रकार–

सरकार बनाम मिठू राम, पे0–शिवजी राम, मोहल्ला–नीलकंठ चौक, थाना–ब्रहम्पुरा, जिला–मुजफ्फरपुर

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
28/3/2019	वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1374/सी0आर0, दिनांक–12.03.2019 के द्वारा आसन्न लोक सभा चुनाव–2019 में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था आम जनता के बीच बनाए रखने हेतु मिठू राम, पे0–शिवजी राम, मोहल्ला–नीलकंठ चौक, थाना–ब्रहम्पुरा, जिला–मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1067, दिनांक 01.03.2019 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार मिठू राम एक उदंड एवं मनबढ़ू प्रवृति के व्यक्ति है। अपने गाँव एवं आस–पास के इलाके में इनकी दबंगता के कारण लोगों में डर व्याप्त है। आगामी लोक सभा चुनाव, 2019 में ये आम मतदाताओं को डार धमका सकते हैं एवं चुनाव को प्रभावी कर सकते है। वर्तमान में ये न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। ये पूर्व के कई कांडों में आरोप पत्रित है। इनके विरूद्ध निम्नांकित कांड एवं सनहा दर्ज है – (1) ब्रहम्पुरा थाना कांड संख्या 124/13, दिनांक 25.07.2013, धारा 342, 323, 504, 506, 307, 302, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या 205/2013, दिनांक 19.09.2013 (2) ब्रहम्पुरा थाना सनहा संख्या–227/19, दिनांक–12.02.2019 वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 393/न्या0, दिनांक 15.03.2019 के द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, ब्रहम्पुरा, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 414, दिनांक 22.03.2019 के द्वारा समर्पित किया गया है कि विपक्षी के पिता शिवजी राम के द्वारा दिनांक 20.03.2019 को नोटिस प्राप्त किया गया। उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 28.03.2019 को की गई। सुनवाई के क्रम में, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा हाजरी एवं अपना जवाब दाखिल किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी विगत दो वर्षो से दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में बतौर सुपरवाइजर की नौकरी कर अपने एवं अपने वृद्ध माता–पिता का भरण–पोषण किया जाता है। वे होली के अवसर पर घर आए है। इन्हें ब्रहम्पुरा थाना कांड संख्या 124/13, दिनांक 25.07.2013, धारा 342, 323, 504, 506, 307, 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें अभियुक्त मुख्य आरोपित नहीं है। उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जमानत दी गई एवं उनके द्वारा दिए गए जमानत का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट–11, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में विचाराधीन हे। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि ब्रहम्पुरा थाना के जिस सनहा संख्या 227/19 का उल्लेख किया गया है उसमें उनके द्वारा सुलहनामा भी दर्ज किया गया है जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा सुलह करा दिया गया है एवं अब कोई भी विवाद दोनों पक्षों के बीच नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि विपक्षी के विरूद्ध विगत पाँच वर्षो में कोई भी थाना में कोई कांड दर्ज नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि वे आदतन अपराधी नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र भी उनके द्वारा दाखिल किया गया है। इस तरह, उनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की	

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 अंतर्गत

वाद संख्या 05/2019–20

धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई विधिसम्मत नहीं है। अतः विपक्षी के विरूद्ध पुलिस प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, अपराध नियंत्रण अधिनियम, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि पुलिस उपाधीक्षक, नगर, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1067/नगर, दिनांक 01.03.19 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विपक्षी एक उदंड एवं मनबढ़ू प्रवृति के व्यक्ति है। इनकी दबंगता के कारण आम लोगों में डर व्याप्त है। संभव है कि आगामी लोक सभा चुनाव 2019 में आम मतदाताओं को डरा धमका सकते है एवं चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह, विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई अति आवश्यक प्रतीत होती है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद कागजात के परिशीलन के उपरांत मैं पाता हूँ कि पुलिस उपाधीक्षक, नगर, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1067/नगर, दिनांक 01.03.19 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार विपक्षी एक उदंड एवं मनबढ़ू प्रवृति के व्यक्ति है। इनकी दबंगता के कारण आम लोगों में डर व्याप्त है। संभव है कि लोक सभा निर्वाचन–2019 के अवसर पर इनके अपने क्षेत्र में रहने से लोक शांति एवं विधि व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाए। इसलिए इनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई अति आवश्यक है।

सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11643/सी० पटना, दिनांक 31.12.2018 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आदेश देता हूँ कि विपक्षी मिठू राम, पे०–शिवजी राम, मोहल्ला–नीलकंठ चौक, थाना–ब्रहम्पुरा, जिला–मुजफ्फरपुर इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 31.05.2019 तक प्रतिदिन पारू थाना में 04.00 बजे सायं से 06.00 बजे सायं के बीच अपनी हाजरी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

थानाध्यक्ष, पारू, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आशय का दैनिक प्रतिवेदन समाहर्त्ता न्यायालय में एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि विपक्षी के द्वारा उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

विपक्षी मिठू राम, पे०–शिवजी राम, मोहल्ला–नीलकंठ चौक, थाना–ब्रहम्पुरा, जिला–मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिला में निर्वाचन की तिथि 06.05.2019 को वे ब्रहम्पुरा थाना, मुजफ्फरपुर में 07.00 बजे पूर्वाह्न में अपनी हाजरी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे एवं उस दिन 07.00 बजे प्रातः से 05.00 बजे सायं तक थाना पर ही उपस्थित रहेंगे।

थानाध्यक्ष, ब्रहम्पुरा, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि यदि विपक्षी मतदान करने के लिए इच्छुक हो तो उन्हें मतदान करने के लिए हर संभव आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष से कराने के लिए इसे वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय को भेजा जाए। साथ ही इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए एवं इस जिले के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, –सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर। 27/3/19	समाहर्त्ता, –सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर। 28/3/19

कार्यालय समाहर्त्ता सह जिला दण्डाधिकारी * जिला विधि प्रशाखा * MAR 2019

प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि प्रशाखा मुजफ्फरपुर